2. कुम्भाराम पुत्र शेराराम
3. साजनराम पुत्र शेराराम (फौत दिनांक 19.04.2016)
4. गोपाराम पुत्र शेराराम
5. लाबुराम पुत्र शेराराम
6. मोहनराम पुत्र रामाराम
7. भीखाराम पुत्र रामाराम
8. चैनाराम पुत्र रामाराम
9. ईसाराम पुत्र रामाराम
   सभी जाति मेगवाल निवासी ग्राम बेरड़ो का बास
   तहसील ओसिया जिला जोधपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसिया जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–
राजेन्द्र चौधरी एडवोकेट – वादीगण की ओर से
रूघाराम चौधरी एडवोकेट – प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 9-3-2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने वाद बाबत खोतेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बैरड़ो का बास मे 279,268,159,256,267,282,320,319 वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है। परिवार में मुखिया होने के नाते वादग्रस्त भूमि हेमा,रामुराम,गजाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। जबकि मौके पर देवाराम के वारिसान का सयुक्तरूप से कब्जा काश्त है। वादीगण के दादा देवाराम पुत्र लच्छीरामम के पांच पुत्र थे जिसमें रामुराम पुत्र देवाराम कुंवारा फौत हो गया। वादग्रस्त

सहायक कलक्टर, ओसिया

Scanned with CamScanner

भूमि का अपने अपने हक हिस्से अनुसार वादीगण ने चार बराबर भागो मे मौके पर भौतिक विभाजन किया हुआ है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि केवल हेमा गजा रामु पुत्रान देवाराम के नाम से दर्ज है। धोकला एवं मगा पुत्रान देवाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। परन्तु वादग्रस्त भूमि के मौके पर इनका भी अपने हक हिस्से अनुसार समान रूप से कब्जा एवं काश्त है।

वादपत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी एवं आदेश 22 नियम 09 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के पूर्वज वक्त सेटलमेंट अलग अलग काश्त करते थे इस कारण पक्षकारान के पूर्वजो के नाम वक्त सेटलमेट अलग अलग पर्चा लगाान जारी हुआ जिसकी सुचि प्रार्थना पत्र में अंकित की गई। इस कारण से वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ। इस कारण से वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11सी पी सी का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त खातेदारी भूमि है लेकिन वादग्रस्त भूमि हेमाराम गजा के नाम दर्ज करवा दी। जबकि मौके पर देवाराम के वारिसान का कब्जा काश्त है। जबाव में आगे निवेदन किया की रामुराम पुत्र देवाराम के हिस्से वाली भूमि पर समानरूप से अधिकार है जिसके सम्बन्ध में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है।

वकुलाय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए तर्क दिया कि वक्त सेटलमेंट वादीगण के पूर्वजो का अलग कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण के पूर्वजो के नाम से अलग सेटलमेट हुआ। एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के कब्जा काश्त की भूमि का अलग से सेटलमेट हुआ। वादीगण ने जानबुझकर केवल प्रतिवादीगण के पूर्वजो की भूमि के सम्बन्ध में ही वाद प्रस्तुत किया। वादीगण को प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ। इस कारण से वादीगण का वाद पोषणीय नही होने के कारण काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस में आगे तर्क किया कि रामू उर्फ राजु कुंवारा लाऔलाद फौत नही हुआ बल्कि राजु विवाहित था। राजु के एक पुत्र रतनाराम एवं एक पुत्री मीरा हुई। राजुराम के पुत्र रतनाराम ने राजुराम के हक हिस्से की भूमि का बेचान जरिये पंजिकृत बेचान दस्तावेज से

Scanned with CamScanner

श्रीमति कमला पत्नी नेताराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम एकलखोरी तहसील ओसिया जिला जोधपुर के पक्ष में दिनांक 12.06.1995 का किया। बेचान दस्तावेज की नकल पत्रावली पर मौजुद है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वादीगण ने जानबुझकर प्रभावित व्यक्तियो को पक्षकार नहीं बनाया है। इसके अलावा वादीगण द्वारा वाद पत्र के पद संख्या 02 में सजरा खानदान दर्शाया गया है। इस सजरा खानदान के अनुसार ही रूघाराम पुत्र गजाराम को पक्षकार नहीं बनाया इस कारण भी वादीगण का वाद काबिल खारिज है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस को आगे बढ़ाते हुए तर्क दिया कि वाद पत्र एवं वकालतनामा पर सभी वादीगण के हस्ताक्षर या अगुष्ठ निशान नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अपूर्ण हैं अपूर्ण वाद काबिल खारिज है। प्रतिवादीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि साजनराम का देहान्त दिनांक 19.04.2016 को हो चुका है। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 12.03.2019 को सुचना देने के बावजुद वादीगण ने साजनराम के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। इस कारण से वादीगण का वाद अबेट (उपचमन) हो चुका है। उपरोक्त तथ्यो के मध्य नजर रखते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

वादीगण के अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का निस्तारण करते समय केवल वाद पत्र का अवलोकन करना चाहिए । वादीगण ने वाद पत्र के पद संख्या 07 में वाद प्रस्तुत करने का उल्लेख किया हैं इसके अलावा वाद का निस्तारण पक्षकारान की साक्ष्य सबूत लेकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए अन्त में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दु रेकर्ड पर आधारित होने का तर्क दिया।

वकुलाय पक्षकारान की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वादीगण ने वाद प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 23.10.2015 को होना बताया, जिसमें उल्लेख किया कि वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादीगण करना चाहते है। इसलिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। लेकिन वादीगण ने वाद पत्र में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत करना क्यो आवश्यक हो गया, वाद पत्र में उल्लेख नही किया। वादीगण का वाद पत्र पढ़ने मात्र से ही वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण ही उत्पन्न नही होता है। वादीगण ने वाद पत्र में रूघाराम पुत्र गजाराम को सजरा खानदान में

Scanned with CamScanner

बताया लेकिन रूघाराम को वाद में पक्षकार क्यो ही बनाया गया, कोई स्पष्टिकरण नही दिया गया इसके अलावा प्रतिवादी साजनरम का देहान्त दिनांक 19.04.2016 को हो चुका, जिसकी सुचना प्रतिवादीगण की आदे से दिनांक 12.03.2019 देने के बावजुद साजनराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही करने के कारण वादीगण का बाद अबेट हो चुका है। उपरोक्त परिस्थितियो में वादीगण का वाद खारिज करने योग्य है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी एवं आदेश 22 नियम 09 सी पी सी स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं। खर्च मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

निर्णय आज दिनांक 9-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Scanned with CamScanner